

D.N = $\frac{319}{15/5/17}$

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 14/2017

रामकुवा मीठा बनाम चतदा मीठा पि. भागुता मीठा
पि. खेद्या मीठा नि. जालमकी गुपडिया
पि. जालमकी गुपडिया

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक- 15/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री रामकुवाट मीठा ने जरिये अधिवक्ता श्री सोमप्रकाश पालीवाल ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/द्वयस्त खाते की भूमि ग्राम चनवाडा प0ह0 जाल काखेडा तह0 माण्डलगढ मे आराजी न0 526/2 529, 530, 533

किता 4 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन आम विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराये जाये साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी कदप्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने सबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0कट स्वीकार किया जाये ग्राम चनवाडा की आराजी न0 526/2 529, 530, 533

रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 650 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जाये।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

माण्डलगढ अधिकारी